vuPNn 3 d jkfx;k d fy, i;of{kr lkenkf;d mipkj

(मानसिक स्वास्थ्य कानून 1983 का अनुच्छेद 17ए)

1. रोगी का नाम	
2. आपके उपचार के प्रभारी व्यक्ति का नाम (आपके लिए "ज़िम्मेदार क्लीनिशियन")	
3. आपका पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार शुरू होने की तिथि	

ejk i;of{kr lkenkf;d mipkj D;k gk jgk g\

आप मानसिक स्वास्थ्य कानून 1983 के अनुच्छेद 17ए के तहत पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार पर हैं क्योंकि आपकी देखभाल का प्रभारी व्यक्ति (आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन) सोचता है कि आप अस्पताल छोड़ने लायक अच्छी स्थिति में तो हैं लेकिन इस संबंध में चिंतित है कि शायद आप अपना उपचार जारी न रखें, या शायद आपको जल्दी में फिर से अधिक उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत पड़े।

पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार का अर्थ है कि आपकी देखभाल करने वाली टीम अस्पताल से आपके जाने के बाद आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में आपकी मदद के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेगी, लेकिन यदि आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन को यह महसूस हो कि आपको फिर से अस्पताल के उपचार की आवश्यकता है, तो आपसे ज़रूरी उपचार कराने के लिए अस्पताल लौटने को कहा जा सकता है।

आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन आपसे अस्पताल छोड़कर जाने के बाद आपकी मानसिक अस्वस्थता के लिए ज़रूरी उपचार और देखभाल की व्यवस्थाओं के संबंध में बात करेगा।

lkenkf;d mipkj vkn'k D;k gkrk g\

सामुदायिक उपचार आदेश एक फॉर्म होता है जिसे आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन और एक अनुमोदित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरकर्मी को भरकर यह बताना होता है कि आप पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार पर हैं।

अनुमोदित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरकर्मी ऐसा व्यक्ति होता है जो यह निर्णय लेने में मदद करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होता है कि लोगों को मानसिक स्वास्थ्य कानून के तहत अस्पताल में रखे जाने की आवश्यकता है या नहीं।

ej: vLirky NkM+dj tku: d: ckn D;k gkxk\

आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन आपको बताएगा कि पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार में क्या होता है।

संभवतः आपसे अपने उपचार के लिए कुछ खास इंतजाम करने को कहा जाएगा, या आपसे समुदाय में सुरक्षित ढंग से और अच्छी तरह रहने में सहायक होने वाले अन्य इंतजाम करने को कहा जाएगा। इन्हें “स्थितियां” कहा जाता है, और मानसिक स्वास्थ्य कानून के अनुच्छेद 17बी के तहत इनकी अनुमति है।

आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन और अनुमोदित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरकर्मी को इस बात पर सहमत होना होगा कि ये स्थितियां उपयुक्त हैं, और स्थितियां उपयुक्त बनाए रखने के लिए आपको जिस मदद की ज़रूरत होगी उसका इंतजाम करेंगे। पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार पर रहते हुए आपसे जो करने, या जो नहीं करने को कहा गया है उनमें से किसी भी चीज के बारे में किसी भी कारण से यदि आप चिंतित हैं तो आपको अपने लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन से बात करनी चाहिए।

;fn e: fLFkfr;k dk dk;e ugh j[k ik;k rk D;k gkxk\

यदि आप स्थिति को ठीक नहीं रख पाए तो आपकी देखभाल करने वाली टीम को यह विचार करना होगा कि आपको उपचार के लिए अस्पताल लौटने की ज़रूरत होगी या नहीं।

यदि आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन सोचता है कि आपका अस्पताल लौटना ही आपकी ज़रूरत का उपचार दिलाना सुनिश्चित करता है तो आपसे यह करने को कहा जा सकता है। चाहे आपने सारी स्थितियां बरकरार रखी हों पर कभी–कभी यह आवश्यक हो सकता है। इसे अस्पताल “वापस बुलाना” कहते हैं।

यदि आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन सोचता है कि आपको अस्पताल वापस बुलाने की ज़रूरत है, तो आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन आपको लिखित रूप में बताएगा कि आपको अस्पताल वापस आने की ज़रूरत है या तो तुरंत, या किसी खास समय पर। यदि आप बताए गए समय पर नहीं आते हैं तो आपको आपकी इच्छा के खिलाफ अस्पताल लाया जा सकता है।

यदि आपको अस्पताल वापस बुलाया जाता है, तो आपको वहां पर 72 घंटों के लिए रखा जा सकता है। यदि आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन को लगता है कि आपको ज्यादा समय तक अस्पताल में रहने की ज़रूरत है, तो एक अनुमोदित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरकर्मी से आपसे बात करने को कहा जाएगा। उस समय आपको सारी बातें समझाई जाएंगी।

i;Zof{kr lkeqnkf;d mipkj ij jgu: d: nkSjku ejk D;k mipkj fd;k tk,xk\

आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन आपके साथ आपकी उपचार संबंधी आवश्यकताओं की चर्चा करेगा और यह बताएगा कि समुदाय में आपका कब और कैसे उपचार किया जाएगा।

D;k e: mipkj djku: l: bdkj dj ldrk g\

यदि आप न चाहें तो आपके पास उपचार कराने से इंकार करने का अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ यह होगा कि आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन को आपको अस्पताल वापस बुला लेने पर विचार करना होगा।

यदि आप सुझाए गए उपचार को नहीं कराना चाहते, तो आपको अपने लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन के साथ जल्दी से जल्दी बात करनी चाहिए।

अगर मैं अपने उपचार के बारे में सहमति देने के लिए बहुत अस्वस्थ होऊँ तो क्या होगा?

यदि आपका उपचार करने वाले लोग सोचते हैं कि आपमें अपने उपचार के बारे में फैसला लेने की क्षमता नहीं है, तो वे आपको ऐसा उपचार दे सकते हैं जिसकी उनके विचार से आपको ज़रूरत है।

लेकिन यदि आप उपचार का विरोध कर रहे हों तो वे उपचार स्वीकार करने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकते, बशर्ते कि यह आपात स्थिति न हो।

"क्षमता नहीं होने" का अर्थ है कि अपनी मानसिक अस्वस्थता के कारण आप निम्नलिखित चार चीजों में से एक या अधिक नहीं कर सकते हैं :

- उपचार के बारे में आपको दी गई जानकारी को समझना
- फैसला ले सकने के लिए उस जानकारी को पर्याप्त समय तक याद रख पाना
- फैसला ले सकने के लिए आपको दी गई जानकारी पर ठीक तरह से विचार कर पाना
- अपने फैसले को किसी भी संभव तरीके से जैसे बोलकर, इशारों की भाषा में, या ज्यादा आसान तरीकों से जैसे आंख झपकाकर या हाथ की मुट्ठी बांधकर अपने फैसले को समझा पाना

यदि आपने मानसिक क्षमता कानून 2005 के तहत उपचार पाने से इंकार करने का कानूनी रूप से बाध्यकारी अग्रिम फैसला किया हो, अथवा यदि इस कानून के तहत आपकी ओर से फैसला लेने के लिए अनुमति प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति ने यह कहा हो कि आपको यह नहीं दिया जाना चाहिए, तो जब तक आपात स्थिति न हो तब तक आपको कोई भी उपचार नहीं दिया जा सकता। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आपने दीर्घकालिक पॉवर ऑफ अटॉर्नी दी हो, कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन द्वारा आपके लिए नियुक्त डेप्युटी या प्रतिनिधि हो, अथवा स्वयं कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन हो सकता है। अस्पताल का स्टाफ मानसिक क्षमता कानून 2005 के बारे में आपको अधिक जानकारी दे सकता है।

दवा और औषधि से उपचार के बारे में विशेष नियम

जब पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार कराते हुए एक महीने से ज्यादा समय हो जाए, तो दवा और औषधि से उपचार के बारे में कुछ विशेष नियम लागू होते हैं।

यदि आपको आपकी मानसिक अस्वस्थता के लिए दवा या औषधि से उपचार दिया जा रहा है, और अस्पताल में रहते समय या पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार कराते हुए इस प्रकार का उपचार शुरू करने के बाद तीन महीने से अधिक समय हो जाने पर, आपसे कहा जाएगा कि एक स्वतंत्र डॉक्टर (जो आपका उपचार करने वाले अस्पताल का नहीं है) को अपना परीक्षण करने की अनुमति दें।

स्वतंत्र डॉक्टर को एसओएडी (द्वितीय राय हेतु नियुक्त डॉक्टर) कहा जाता है और उसे एक स्वतंत्र कमीशन द्वारा नियुक्त किया जाता है जो यह निगरानी करता है कि मानसिक स्वास्थ्य कानून का इस्तेमाल कैसे किया गया है।

यह डॉक्टर इस बात की जांच करेगा कि यह उपचार आपके लिए ठीक है या नहीं, और आपको कौन–सा उपचार जारी रखना चाहिए इस बात का फैसला करने से पहले आपसे बात करेगा।

यह स्वतंत्र डॉक्टर जिस भी दवा या औषधि का उपचार दिए जाने को आपके लिए सही बताएगा आपको वही उपचार दिया जाएगा, बशर्ते कि आपात स्थिति न हो।

आपको यह बताया जाएगा कि स्वतंत्र डॉक्टर कब और कहां आपका परीक्षण करना चाहता है। स्वतंत्र डॉक्टर द्वारा परीक्षण करना पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार की शर्तों में से एक है। यदि आप बताए गए समय और स्थान पर स्वतंत्र डॉक्टर से मुलाकात नहीं करते हैं, तो आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन आपको अस्पताल वापस बुला सकता है ताकि आपकी स्वतंत्र डॉक्टर से मुलाकात हो सके।

कुछ विशेष उपचारों, जैसे इलेक्ट्रो–कनवल्सिव थैरेपी (ईसीटी), के लिए भिन्न–भिन्न नियम हैं। यदि आपका उपचार करने वाले लोग सोचते हैं कि आपको इन विशेष उपचारों में से किसी एक की आवश्यकता होगी, तो आपको इनके नियम समझा दिए जाएंगे।

e>s fdrus le; rd i;Zof{kr lkenkf;d mipkj djkuk gksxk\

आपका सामुदायिक उपचार आदेश शुरुआत में छः महीने के लिए होगा, बशर्ते कि आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन यह फैसला न करे कि इसे ज्यादा लंबे समय तक जारी रखना आवश्यक है।

आपसे कहा जाएगा कि छः महीने पूरा होते समय आप अपने लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन को अपना परीक्षण करने की अनुमति दें, ताकि वह देख सके कि आपको पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार पर बने रहने की ज़रूरत है या नहीं। आपको बताया जाएगा कि आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन कब और कहां आपका परीक्षण करना चाहता है।

परीक्षण हेतु अपने लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन से मुलाकात करना पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार की शर्तों में से एक है। यदि आप बताए गए समय और स्थान पर अपने लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन से मुलाकात नहीं करते हैं, तो आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन आपका परीक्षण करने के लिए आपको अस्पताल बुला सकता है।

यदि आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन सोचता है कि आपको ज्यादा समय तक पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार पर बने रहने की ज़रूरत है, तो वे इसे अगले छः महीनों और फिर एक वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक समय अवधि के समाप्त होते समय आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन इस बारे में आपसे बातचीत करेंगे।

D;k eSa vihy dj ldrk gw\

हां। आप अपने लिए ज़िम्मेदार अस्पताल के अस्पताल प्रबंधकों से अपने लिए पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार को समाप्त करने को कह सकते हैं। आप ऐसा कभी भी कर सकते हैं। अस्पताल के प्रबंधक अस्पताल के अंदर गठित लोगों की एक विशेष समिति होते हैं जो यह फैसला करते हैं कि किसी व्यक्ति को अब भी पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार पर बने रहने की आवश्यकता है या नहीं।

आपके लिए ज़िम्मेदार अस्पताल आम तौर पर वह अस्पताल होता है जहां पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार पर जाने से पहले आप थे। यदि आपके लिए ज़िम्मेदार अस्पताल बदल जाता है तो आपको बताया जाएगा।

यदि आप अस्पताल के प्रबंधकों से अपना पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार समाप्त कराना चाहते हैं तो आप उन्हें निम्नलिखित पते पर लिख सकते हैं :

आपके पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार को समाप्त करने के बारे में फैसला करने से पहले अस्पताल के प्रबंधक आपसे बात करना चाह सकते हैं।

आपका सबसे करीबी रिश्तेदार अस्पताल के प्रबंधकों को यह बता सकता है कि वे आपके पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार को बंद करना चाहते हैं। इस पुस्तिका में आगे दिया है कि आपका सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है।

यदि आपका सबसे करीबी रिश्तेदार ऐसा करता/करती है तो आपका पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार 72 घंटों के बाद समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन अस्पताल के प्रबंधकों को यह न बताए कि अगर आपके पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार को बंद कर दिया गया तो आप स्वयं अपने या दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो आपका सबसे करीबी रिश्तेदार अस्पताल के प्रबंधकों को अगले छः माह बाद फिर से यह कह सकता/सकती है कि वे आपका पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार बंद करना चाहते हैं।

आप न्यायाधिकरण से कहने का अनुरोध कर सकते हैं कि आपका पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार बंद कर दिया जाना चाहिए।

U;k;kf/kdj.k D;k gkrk g vkj mlls D;k gkxk\

न्यायाधिकरण एक स्वतंत्र पैनल होता है जो यह फैसला कर सकता है कि आपका पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार बंद किया जाना चाहिए या नहीं। न्यायाधिकरण आपके साथ और आपको जानने वाले अस्पताल के स्टाफ के साथ एक बैठक करेगा। इस बैठक को "सुनवाई" कहा जाता है। यदि आप चाहें, तो आप किसी अन्य व्यक्ति से सुनवाई में अपनी सहायता करने को आने के लिए कह सकते हैं। सुनवाई से पहले, न्यायाधिकरण के सदस्य आपके और आपके पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार के बारे में अस्पताल की रिपोर्टें पढ़ेंगे। न्यायाधिकरण का कोई सदस्य आपसे बात करने भी आएगा।

e U;k;kf/kdj.k dk dc vkonu dj ldrk g\

आप पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार पर रहने के पहले छः महीनों के दौरान एक बार किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार पर रहने के दूसरे छमाही के दौरान, और इसके बाद हरेक साल में एक बार आवेदन कर सकते हैं।

यदि आपका सबसे करीबी रिश्तेदार अस्पताल के प्रबंधकों को बताता/बताती है कि वे आपका पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार बंद करना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन यह कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपका सबसे करीबी रिश्तेदार न्यायाधिकरण में भी आवेदन कर सकता/सकती है। आपके सबसे करीबी रिश्तेदार को आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीशियन द्वारा यह कहे जाने के 28 दिनों के अंदर न्यायाधिकरण में आवेदन करना चाहिए कि उसे यह नहीं लगता कि आपका पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार बंद करना चाहिए।

यदि आप न्यायाधिकरण में आवेदन करना चाहें तो आप इस पते पर लिख सकते हैं :

The Tribunals Service
PO BOX 8793
5th Floor
Leicester
LE1 8BN फोन 0845 2232022

आप किसी वकील से अपने लिए न्यायाधिकरण को लिखने और सुनवाई के समय आपकी मदद करने को कह सकते हैं। आपके लिए ज़िम्मेदार अस्पताल और लॉ सोसाइटी के पास इसमें विशेषज्ञता रखने वाले वकीलों की एक सूची है। आपको इस विषय में वकील से सहायता लेने के लिए भुगतान नहीं करना होगा। कानूनी सहायता योजना के तहत यह निःशुल्क है।

viu: lcl: djhch fj'r:nkj dk tku:

इस पुस्तिका की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसे मानसिक स्वास्थ्य कानून आपका सबसे करीबी रिश्तेदार कहता है।

मानसिक स्वास्थ्य कानून में ऐसे लोगों की एक सूची है जिन्हें आपके रिश्तेदार समझा जाता है। सामान्यतः, उस सूची में सबसे ऊपर मौजूद व्यक्ति आपका सबसे करीबी रिश्तेदार होता है। अस्पताल का स्टाफ आपको एक पुस्तिका दे सकता है जो इस बात को विस्तारपूर्वक बताती है और यह बताती है कि आपकी देखभाल और उपचार के संबंध में आपके सबसे करीबी रिश्तेदार के क्या अधिकार हैं।

आपके मामले में, हमें यह बताया गया है कि आपका सबसे करीबी रिश्तेदार है :

यदि आप नहीं चाहते कि इस व्यक्ति को पुस्तिका की एक प्रति प्राप्त हो, तो कृपया अपने लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन, स्टाफ के किसी अन्य सदस्य या यह पुस्तिका देने वाले व्यक्ति को बताएं।

viu: lcl: djhch fj'r:nkj dk cnyuk

यदि आपको लगता है कि यह व्यक्ति आपका सबसे करीबी रिश्तेदार होने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आप काउंटी कोर्ट में उसके बजाय किसी अन्य व्यक्ति को अपना सबसे करीबी रिश्तेदार बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अस्पताल का स्टाफ आपको एक पुस्तिका दे सकता है जिसमें विस्तार से यह बताया गया है।

dk;ivH;kl lfgrk

कार्यअभ्यास संहिता आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन को और आपकी देखभाल तथा उपचार में शामिल अन्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य कानून के बारे में सलाह देती है। आपकी देखभाल के बारे में उनके द्वारा कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें संहिता में कही गई बातों पर विचार करना चाहिए। यदि आप चाहें, तो आप संहिता की एक प्रति देखने के लिए कह सकते हैं।

e: f'kdk;r d:l: dj ldrk g\

यदि आप पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार से संबंधित अपनी देखभाल और उपचार के बारे में कोई भी शिकायत करना चाहते हैं, तो कृपया स्टाफ के किसी सदस्य से बात करें। वे संभवतः मामले का निपटारा कर सकें। वे आपको आपके लिए ज़िम्मेदार अस्पताल की शिकायत प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप स्थानीय समाधान के ज़रिए अपनी शिकायत का निपटारा करने के लिए कर सकते हैं। वे आपको ऐसे दूसरे लोगों के बारे में भी बता सकते हैं जो शिकायत करने में आपकी सहायता कर सकते हैं।

आप एक स्वतंत्र कमीशन में भी शिकायत कर सकते हैं। कमीशन इस बात पर निगरानी रखता है कि मानसिक स्वास्थ्य कानून का इस्तेमाल कैसे किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका इस्तेमाल सही ढंग से हुआ है और अस्पताल या पर्यवेक्षित सामुदायिक उपचार पर रहने के दौरान रोगियों की उचित ढंग से देखभाल की जाती है। अस्पताल का स्टाफ आपको कमीशन से संपर्क करने के बारे में बताने वाली एक पुस्तिका देगा।

vf/kd lgk;rk vkj tkudkjh

यदि अपनी देखभाल और उपचार के बारे में कोई बात आप नहीं समझ पाए हों, तो आपके लिए ज़िम्मेदार क्लीनिशियन या स्टाफ का कोई अन्य सदस्य इसे समझने में आपकी मदद करेगा। यदि इस पुस्तिका की कोई बात आप नहीं समझ पाए हों या यदि आपके कोई ऐसे प्रश्न हों जिनके जवाब इस पुस्तिका में नहीं दिए गए हों तो कृपया उनसे समझाने को कहें।

यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस पुस्तिका की एक और प्रति चाहते हों तो कृपया बताएं।